क्रम-संख्या–26

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 11 फरवरी, 2025

माघ 22, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग–4

संख्या 2-2025–203/तीस-4–2025-30-4099(099)-154-2023

लखनऊ, 11 फरवरी, 2025

अधिसूचना

सा0प0नि0–13

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 22 सन् 2023) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थातः–

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली, 2025

अध्याय–एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएँ

2–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 22 सन् 2023) से है;

(ख) "सलाहकार समिति" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित किसी सलाहकार समिति से है;

(ग) "वार्षिक रिपोर्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 28 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट से है;

CamScanner

(घ) "लेखापरीक्षा अधिकारी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के महालेखाकार से है और इसमें प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति और साथ ही लेखा और लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक भी सम्मिलित है;

(ङ) "प्राधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से है;

(च) "बजट" का तात्पर्य किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय के अनुमान से है;

(छ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से है;

(ज) "निधि" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 23 के अधीन गठित "उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि" से है;

(झ) "सदस्य" का तात्पर्य प्राधिकरण के सदस्य से है;

(ञ) "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से है; और

(ट) "विनियम" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 40 के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों से है।

अध्याय–दो

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव की पदावधि, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें

पदावधि

3–(1) यदि मुख्यमंत्री द्वारा परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश को अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाता है, तो अध्यक्ष की पदावधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक वह परिवहन मंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे।

(2) यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो वे पांच वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अवधि के लिए जो अनधिक पांच वर्ष हो जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय, पद धारण करेंगे।

(3) अध्यक्ष, यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो और उपाध्यक्ष की पदावधि की गणना उनके पद ग्रहण करने के दिनांक से की जाएगी। अध्यक्ष की पदावधि (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नवीकृत की जा सकती है और उपाध्यक्ष की पदावधि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अग्रतर अवधि के लिए नवीकृत की जा सकती है।

(4) प्राधिकरण का सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त रैंक के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाएगा और वह राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित अवधि के लिए पद धारण करेगा।

त्यागपत्र

4–(1) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) और उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हाथ से लिखित नोटिस द्वारा, अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं;

(2) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) और उपाध्यक्ष का पद, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा ऐसे सदस्य के त्यागपत्र स्वीकार किये जाने के दिनांक से रिक्त हो जायेगा।

वेतन

5–(1) यदि मुख्यमंत्री द्वारा परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश को अध्यक्ष के रूप में नाम–निर्दिष्ट किया जाता है, तो परिवहन मंत्री को प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु पृथक से कोई वेतन और भत्ता संदेय नहीं होगा।

CamScanner

(2) जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, नियुक्ति के समय, अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) और उपाध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते निम्नानुसार होंगे :–

(क) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है): उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को अनुमन्य 'नियत' मासिक वेतन के अनुसार;

(ख) उपाध्यक्षः जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव स्तर के राज्य सरकार के अधिकारियों पर लागू होता है;

(ग) सचिवः जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त रैंक धारण करने वाले अधिकारियों पर लागू होता है।

(3) यदि अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) या उपाध्यक्ष को उसकी नियुक्ति के समय कोई अधिवार्षिकी पेंशन प्राप्त हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति के वेतन में से ग्रेच्युटी के समतुल्य पेंशन को सम्मिलित करते हुए पेंशन के रूप में उसको प्राप्त होने वाली धनराशि को घटा दिया जायेगा।

(4) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) या उपाध्यक्ष का वेतन अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने की अवधि के दौरान उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि के दौरान, पुनर्योजित कार्मिकों को वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो पुनर्योजित कार्मिकों के अन्तिम आहरित मूल वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (पूँजीकरण के पूर्व यदि कोई हो) की कटौती के परिणामस्वरूप आय या पुनर्योजित पद का अधिकतम वेतन, जो भी न्यून हो; से अधिक नहीं होगा। पुनर्गठन की अवधि के दौरान शुद्ध वेतन तथा शुद्ध पेंशन के योग पर मँहगाई भत्ता अनुमन्य होगा। पेंशन पर पृथक से राहत अनुमन्य नहीं होगी।

(6) पुनः स्थापन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पदभार ग्रहण करने या उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता संदेय नहीं होगा।

आवासीय वास–सुविधा

6–(1) यदि परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है, तो परिवहन मंत्री को प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु पृथक से कोई आवासीय सुविधा नहीं दी जायेगी।

(2) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) या उपाध्यक्ष ऐसे आवास के आवंटन या ऐसा मकान किराया भत्ता प्राप्त करने जैसा कि प्राधिकरण के उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों हेतु अनुज्ञेय हो, के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार विनियमित किये जाने वाले ऐसे आवास के लिए मासिक किराये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, वेतन की 10% की कटौती पर असज्जित वास–सुविधा के लिए हकदार होंगे।

(3) सचिव ऐसे आवास के आबंटन या ऐसा मकान किराया भत्ता प्राप्त करने जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त रैंक धारण करने वाले अधिकारियों हेतु अनुज्ञेय हो, के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार विनियमित किये जाने वाले ऐसे आवास के लिए मासिक किराये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, वेतन की 10% की कटौती पर असज्जित वास–सुविधा के लिए हकदार होगा।

कार का निःशुल्क उपयोग

7–(1) यदि परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है, तो परिवहन मंत्री को प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु पृथक से सरकारी वाहन की सुविधा नहीं दी जायेगी।

(2) प्राधिकरण के अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) और उपाध्यक्ष द्वारा निजी प्रयोजन के लिए प्राधिकरण की कार का उपयोग, राज्य सरकार के प्रमुख सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा कार के उपयोग के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

CamScanner

यात्रा भत्ता, कार्यभार ग्रहण समय और कार्यभार ग्रहण समय वेतन

8–(1) यदि परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है, तो परिवहन मंत्री को प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु पृथक से यात्रा भत्ता, कार्यभार ग्रहण समय और कार्यभार ग्रहण समय वेतन आदि सुविधा नहीं दी जायेगी।

(2) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) और उपाध्यक्ष अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति पर ड्यूटी में सम्मिलित होने और वहां से प्रतिवर्तन के समय ऐसे यात्रा भत्ता, कार्यभार ग्रहण–समय और कार्यभार ग्रहण समय–वेतन का हकदार होगा जो तद्निमित्त लागू विनियमों के अनुसार प्राधिकरण के पूर्णकालिक नियोजन में अधिकारियों की उच्चतम श्रेणी के लिए अनुज्ञेय हो:

परन्तु यह कि प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त बनाए गए ऐसे किसी भी विनियम के अभाव में, राज्य सरकार के प्रमुख सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के संबंध में लागू यात्रा भत्ता, कार्यभार ग्रहण समय और कार्यभार ग्रहण समय वेतन के हकदार होंगे।

दौरे पर यात्राओं के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता

9–(1) यदि परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है, तो परिवहन मंत्री को प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु पृथक से यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि सुविधायें नहीं दी जायेगी।

(2) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) और उपाध्यक्ष ऐसे यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जो तद्निमित्त प्राधिकरण के लागू विनियमों के अनुसार प्राधिकरण के पूर्णकालिक नियोजन में अधिकारियों की उच्चतम श्रेणी के लिये अनुज्ञेय हो:

परन्तु यह कि, जब तक प्राधिकरण द्वारा तद्निमित्त विनियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक दौरे पर यात्रा के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता राज्य सरकार और उससे ऊपर के अधिकारियों द्वारा यात्रा के विनियमन के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

अन्य सुविधाएं एवं सेवा शर्तें

10–अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हों) और उपाध्यक्ष के अन्य भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो उनकी नियुक्ति के समय राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जा सकती हैं:

परन्तु यह किसी भी मामले के संबंध में, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं किया गया है, प्राधिकरण के पूर्णकालिक रोजगार के अधिकारियों की उच्चतम श्रेणी पर तद्निमित्त लागू विनियम अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उ0प्र0 के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष पर भी लागू होंगे।

सचिव के अन्य भत्ते एवं सेवा शर्तें

11–अन्य भत्ते जैसे यात्रा भत्ता, कार्यभार ग्रहण समय, कार्यभार ग्रहण समय–वेतन, कार का उपयोग आदि परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त रैंक के अधिकारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

अध्याय–तीन

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य

अध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य

12–(1) प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करने और प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित शक्तियों का निर्वहन करने के अतिरिक्त, अध्यक्ष प्राधिकरण का कार्यकारी प्रमुख भी होगा और प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित शक्तियों का निर्वहन भी करेगा। अध्यक्ष को, प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी के रूप में, धारा 40 के अधीन बनाए गए किन्हीं भी विनियमों के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजन को पूरा करने की समग्र जिम्मेदारी न्यस्त होगी।

(2) अध्यक्ष:

(एक) जब तक बीमारी या अन्य युक्ति युक्त कारण से रोका न जाए, प्राधिकरण की बैठक में भाग लेगा;

(दो) प्राधिकरण के मामलों के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाओं और विकास के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट करना;

CamScanner

(तीन) प्राधिकरण के कामकाज और प्रदर्शन के विषय में राज्य सरकार के प्रति जिम्मेदार होना;

(चार) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति यथाशीघ्र राज्य सरकार को पारेषित करेगा;

(पांच) प्रत्येक मास के पहले सप्ताह तक, पूर्ववर्ती मास के दौरान प्राधिकरण की गतिविधियों और प्रदर्शन पर राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसे मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निदेशित किया जाय;

(छः) प्राधिकरण के मामलों के संबंध में राज्य सरकार के लिखित रूप में दिए गए सभी निदेशों का पालन करना;

(सात) प्राधिकरण के मामलों से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में ऐसे विनिर्दिष्ट कर्तव्यों या कर्तव्य भारों का निर्वहन करना जिन्हें राज्य सरकार उसे न्यस्त किया जाना उचित समझे;

(आठ) प्राधिकरण के समस्त निदेशों, विनिश्चयों और आदेशों का पालन करना या करवाना;

(नौ) कार्यकारी प्रशासन के मामलों में और प्राधिकरण के खातों और अभिलेख से संबंधित मामलों में प्राधिकरण के समस्त कर्मचारियों के कार्यों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखना;

(दस) प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की सेवाओं से संबंधित सेवा विस्तार देने, छुट्टी देने, निलंबित करने, अवनत करने, अनिवार्य सेवानिवृत्त करने, हटाने या सेवा सम्बन्धी किसी अन्य प्रश्न की शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिसमें ऐसे कर्मचारी के कदाचार के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से ऐसे किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा से छूट देने की शक्ति सम्मिलित है।

उपाध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य

13–(1) उपाध्यक्षः–

(एक) अध्यक्ष को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना;

(दो) जब तक बीमारी या अन्य युक्तियुक्त कारण से रोका न जाए, प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में भाग लें;

(तीन) यदि अध्यक्ष दुर्बलता के कारण, या अन्यथा, अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ है या छुट्टी पर अनुपस्थित है या अन्यथा, ऐसी परिस्थितियों में जिसमें उसके कार्यालय की छुट्टी सम्मिलित नहीं है, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करें।

अध्याय–चार

प्राधिकरण की बैठकों के लिए प्रक्रिया

बैठकों की आवृत्ति

14–(1) नियम 14 में निर्दिष्ट विशेष बैठक के अलावा प्राधिकरण की एक बैठक, कैलेंडर वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।

(2) अध्यक्ष समय–समय पर प्राधिकरण की बैठकों के लिए दिनांक और समय अवधारित करेगा।

(3) प्राधिकरण की बैठक प्राधिकरण के मुख्यालयों अथवा ऐसे अन्य स्थान पर आयोजित की जाएगी जो राज्य सरकार के परामर्श से प्राधिकरण द्वारा जैसा विनिश्चित किया जाय।

विशेष बैठकें बुलाना

15–अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, जहां भी वह उचित समझे, और कम से कम तीन सदस्यों के अनुरोध पर प्राधिकरण की एक विशेष बैठक बुलाएगा।

बैठक की सूचना

16–(1) नियम 15 में निर्दिष्ट विशेष बैठक से भिन्न प्राधिकरण की बैठक प्रत्येक सदस्य को लिखित रूप में कम से कम अनून्य सात पूर्ण दिवस की नोटिस देकर बुलाई जाएगी, और प्रत्येक सदस्य को निपटाए जाने वाले कार्य की एक सूची उस बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

(2) प्रत्येक सदस्य को कम से कम तीन दिनों का स्पष्ट लिखित नोटिस देकर एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी।

CamScanner

गणपूर्ति

17–(1) विशेष बैठक से भिन्न प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति कम से कम पांच सदस्यों की होगी।

(2) उपस्थित चार सदस्य उस प्राधिकरण की विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति होंगे।

(3) यदि प्राधिकरण की बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति उपस्थित नहीं है, तो बैठक अगले सप्ताह में उसी दिन उसी समय और स्थान पर स्थगित कर दी जाएगी और ऐसी बैठक के पीठासीन अधिकारी उपस्थित सदस्यों को सूचित करेंगे और अन्य सदस्यों को नोटिस भेजेंगे।

(4) यदि स्थगित बैठक में भी, बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति मौजूद नहीं है, तो उपस्थित सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

बैठकों की अध्यक्षता करना

18–अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा, और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित नहीं हैं, तो उपस्थित प्राधिकरण का सबसे वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

कार्यसूची में सम्मिलित न किये गये मद पर चर्चा

19–किसी बैठक में पीठासीन अधिकारी अपने विवेक से कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किए गए किसी भी मद को चर्चा के लिए सम्मिलित कर सकता है, यदि वह, उसकी राय में, पर्याप्त महत्व अथवा अति आवश्यक है और किसी भी पश्चात्वर्ती बैठक में विचार के लिए नहीं रखा जा सकता है।

बैठक का कार्यवृत्त

20–(1) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली एक पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा, जिस पर पीठासीन अधिकारी के साथ–साथ उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा यथाशीघ्र हस्ताक्षर किए जाएंगे और कार्यालय समय में किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

(2) कार्यवाही के ऐसे भाग को छोड़कर, जिसे अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, किसी विशेष मामले में निदेशित कर सकता है, भी कार्यालय समय में प्राधिकरण के कार्यालयों का जनता के निरीक्षण के लिए खोला जायेगा।

(3) प्रत्येक बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किये जायेंगे।

(4) प्राधिकरण की किसी भी बैठक में उपस्थित सदस्य को इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली पुस्तिका अथवा रजिस्टर में अपना नाम हस्ताक्षर करना होगा।

बैठक का स्थगन

21–(1) किसी बैठक का पीठासीन अधिकारी बैठक को पश्चातवर्ती दिनांक में स्थगित कर सकता है, जिस दिनांक की घोषणा बैठक में की जाएगी और जहां उस आशय की घोषणा नहीं की जाती है, पीठासीन अधिकारी समस्त सदस्यों को सात पूर्ण दिनों का नोटिस देगा।

(2) किसी भी स्थगित बैठक में उस बैठक में अधूरे छोड़े गए कारबार के अलावा कोई भी कारबार नहीं किया जाएगा, जहां से स्थगन हुआ था।

अध्याय–पांच

सलाहकार समितियाँ और विशेषज्ञों का पैनलीकरण

सलाहकार समिति

22–(1) प्राधिकरण ऐसी सलाहकार समितियों का गठन कर सकता है जो उसके कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(2) सलाहकार समिति में आधिकारिक और गैर–आधिकारिक सदस्य हो सकते हैं, जिनके पास पोत परिवहन और नौपरिवहन और संबद्ध पहलुओं से संबंधित योग्यताएं और अनुभव हो।

(3) एक सलाहकार समिति में छः से अधिक सदस्य नहीं होंगे और जिनमें से कम से कम आधे गैर–सरकारी सदस्य होने चाहिए।

(4) प्राधिकरण, एक सदस्य को सलाहकार समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त करेगा।

CamScanner

सलाहकार समितियों के कार्य संचालन की प्रक्रिया

23–(1) सलाहकार समिति का प्रमुख आवश्यकता पड़ने पर या प्राधिकरण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निदेशानुसार सलाहकार समिति की बैठक बुलाएगा।

(2) सलाहकार समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति सलाहकार समिति के कुल सदस्यों की संख्या के आधे से कम नहीं होगी।

(3) उप नियम (2) के अधीन, किसी भी सलाहकार समिति की बैठकें, जहां तक हो सकें, अध्याय (चार) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण की बैठकों पर लागू नियमों द्वारा शासित होंगी।

सदस्यों की पदावधि

24–(1) सलाहकार समिति का एक सदस्य ऐसी अवधि के लिए पद पर रहेगा जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जा सकती है और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(2) किसी सलाहकार समिति का कोई सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षरित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(3) किसी सलाहकार समिति के सदस्य को पद–रिक्त माना जाएगा: –

(क) यदि वह सलाहकार समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहता है;

(ख) यदि वह दिवालिया हो जाता है; या

(ग) यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित हो।

(4) प्राधिकरण किसी भी सदस्य को सलाहकार समिति से हटा सकता है, जो उसकी राय में:–

(क) कार्य करने से इंकार करता हो;

(ख) कार्य करने में असमर्थ हो;

(ग) अपने पद का इतना दुरुपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हो;

(घ) अन्यथा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो।

भत्ते

25–शासकीय सदस्य को कोई भत्ता प्राप्त नहीं होगा; सलाहकार समिति का केवल अशासकीय सदस्य ही प्रत्येक बैठक में उपस्थिति के लिए दस हजार रुपये के भत्ते का हकदार होगा :

परन्तु यह कि एक कैलेंडर माह के दौरान सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए सलाहकार समिति के किसी भी अशासकीय सदस्य को संदेय भत्ते की कुल राशि पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

यात्रा भत्ता

26–सलाहकार समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित होने वाले सलाहकार समिति का प्रत्येक बाह्यस्थानी अशासकीय सदस्य हकदार होगा–

(क) नियम 25 के अधीन संदेय भत्ते के अतिरिक्त, अधिकारियों के उच्चतम प्रवर्ग के लिए लागू दर पर यात्रा भत्ता प्राप्त करना;

(ख) सलाहकार समिति की बैठकों के स्थान और उसके निवास स्थान तक की यात्रा की अवधि के लिए उस प्राधिकरण के सर्वकालिक रोजगार में अधिकारियों के उच्चतम प्रवर्ग के लिए लागू दर पर दैनिक भत्ता प्राप्त करना।

विशेषज्ञों का पैनल बनाना

27–(1) प्राधिकरण आवश्यकता पड़ने पर अपने कृत्यों के कुशल निर्वहन के लिए किसी विषय विशेषज्ञ (विशेषज्ञों) को भी पैनल में रख सकता है;

(2) विषय विशेषज्ञ (विशेषज्ञों) को अध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा पैनल में रखा जाएगा और इस तरह के पैनल को प्राधिकरण की अगली बैठक में अनुसमर्थित किया जाएगा।

(3) विषय विशेषज्ञ (विशेषज्ञों) के भत्ते, कार्यकाल और अन्य शर्तें पैनल में सम्मिलित होने के समय प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जाएंगी।

CamScanner

(4) प्राधिकरण उस विषय विशेषज्ञ (विशेषज्ञों) को हटा सकता है, जो उसकी राय में:–

(क) कार्य करने से इंकार करता हो;

(ख) कार्य करने में असमर्थ हो;

(ग) अपने पद का इतना दुरुपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हो;

(घ) अन्यथा विशेषज्ञ के रूप में बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो।

अध्याय–6

बजट, लेखा और लेखापरीक्षा

बजट की तैयारी और प्रस्तुतीकरण

28–(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण के बजट अनुमान ऐसे प्रपत्र (प्रपत्रों), जो प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, में प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा उप–नियम (4) में विनिर्दिष्ट दिनांक से पर्याप्त पहले तैयार किये जायेगें।

(2) इस प्रकार तैयार किए गए बजट अनुमानों की एक प्रति प्रत्येक सदस्य को प्राधिकरण की बैठक से कम से कम चौदह दिन पूर्व प्रेषित की जाएगी, जिसमें ऐसे अनुमानों पर विचार किया जाना है।

(3) प्राधिकरण इस प्रयोजन के लिए निर्धारित बैठक में या किसी अन्य बैठक में, जिसमें बजट अनुमानों पर विचार स्थगित हो, ऐसे परिवर्तनों के साथ जो उपयुक्त समझे, बजट प्राक्कलनों पर विचार करेगा और मंजूरी देगा।

(4) प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत बजट अनुमान–पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अक्टूबर माह के पंद्रहवें दिन तक राज्य सरकार को भेज दिए जाएंगे, जिस वित्तीय वर्ष से बजट अनुमान संबंधित हैं:

परन्तु यह कि राज्य सरकार, प्राधिकरण के अनुरोध पर, ऐसी बाद की तारीख जो राज्य सरकार उचित समझे नियत कर सकती है, लेकिन अक्टूबर महीने के इकत्तीसवें दिन के पश्चात न हो।

अनुपूरक बजट

29–प्राधिकरण जहां आवश्यक हो, राज्य सरकार को उस वित्तीय वर्ष के संबंध में, जिससे वह सम्बन्धित है, ऐसे दिनांक से पूर्व जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे प्रपत्र (प्रपत्रों), जो प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, में अनुपूरक बजट भी भेजेगा।

लेखा एवं लेखापरीक्षा

30–(1) वित्तीय वर्ष/लेखा वर्ष दिनांक 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर दिनांक 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष होगा।

(2) प्राधिकरण उचित खाते और अन्य सुसंगत अभिलेख अनुरक्षित रखेगा और लाभ एवं हानि खाते तथा तुलन-पत्र सम्मिलित करते हुए खातों का वार्षिक विवरण, ऐसे प्रपत्र (प्रपत्रों), जो प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, में तैयार करेगा।

(3) प्राधिकरण के खातों की वार्षिक लेखापरीक्षा उत्तर प्रदेश के महालेखाकार और या प्राधिकरण द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी और प्राधिकरण के खातों के लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी भी व्यय को प्राधिकरण द्वारा उस दिनांक से तीन महीने के भीतर संदाय किया जाएगा जिस दिनांक को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा कोई मांग की जाती है।

(4) प्राधिकरण के खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षा अधिकारी के पास ऐसे लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो उत्तर प्रदेश के महालेखाकार के पास सरकारी खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में हैं और विशिष्टतया लेखा पुस्तकों, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और कागज–पत्रों को प्रस्तुत

CamScanner

करने की मांग करने और प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(5) लेखापरीक्षा अधिकारी को उस वर्ष के अनुगामी, जिस वर्ष से खाते संबंधित हैं, जुलाई के 31वें दिन या उससे पहले प्राधिकरण द्वारा सामान्य मुहर लगाकर अधिप्रमाणित और सम्यक रूप से पारित वार्षिक खातों की एक प्रति प्रदान की जाएगी:

परन्तु यह कि प्राधिकरण से प्राप्त अनुरोध पर सरकार लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से और लेखा परीक्षक की सहमति से लेखा परीक्षा अधिकारी को वार्षिक खाते प्रस्तुत करने के दिनांक को ऐसी अवधि तक जैसा उचित समझे बढ़ा सकती है।

(6) लेखापरीक्षा अधिकारी उसे खाते प्रस्तुत किये जाने के तीन महीने के भीतर प्राधिकरण के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा और रिपोर्ट करेगा।

(7) लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्राधिकरण के खातों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण द्वारा लेखापरीक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा वार्षिक रूप से राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

(8) भण्डार के प्रारम्भिक खाते–कार्य स्थल पर सामग्री और औजार एवं संयंत्र (विशेष औजारों और संयन्त्रों समेत) सम्मिलित करते हुए भण्डार के प्रारम्भिक खातों का अनुरक्षण ऐसे अनुदेशों, जो समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाये, के अनुसार किया जाएगा।

(9) भण्डारों का भौतिक सत्यापन– भण्डारों, औजारों और संयंत्रों का भौतिक सत्यापन एक ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उसका अभिरक्षक नहीं है। इस तरह के सत्यापन के परिणाम, भंडारों और औजारों एवं संयंत्रों की किसी भी कमी अथवा आधिक्य के लिए प्राधिकरण के आदेशों के साथ लेखापरीक्षा अधिकारी को संसूचित किए जाएंगे।

(10) खातों में अनौचित्य या अनियमितता–

(क) लेखापरीक्षा अधिकारी प्राधिकरण और राज्य सरकार को अलग से एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जहां आवश्यक हो किसी भी भौतिक अनौचित्य या अनियमितता के संबंध में जिसे वह व्यय में या प्राधिकरण को देय धन की वसूली में देख सकता है।

(ख) प्राधिकरण लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा बताए गए किसी भी दोष या अनियमितता को तुरंत ठीक करेगा और लेखापरीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर सरकार को उसके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देगा :

परन्तु यह कि, यदि प्राधिकरण और लेखापरीक्षा अधिकारी के बीच कोई मतभेद है, या यदि प्राधिकरण उचित अवधि के भीतर किसी दोष या अनियमितता का समाधान नहीं करता है या दोष या अनियमितता के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो राज्य सरकार, लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा इसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से दिए गए संदर्भ पर, लेखापरीक्षक के परामर्श से, उस पर ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे और उसके बाद प्राधिकरण ऐसे समय के भीतर कार्रवाई करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा तैयार करना और प्रस्तुत करना

31–(1) अध्यक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र तैयार करेगा: –

(क) अधिनियम की धारा 28 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट, और

(ख) नियम 30 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट लेखाओं का वार्षिक विवरण।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित मामलों पर पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण के क्रियाकलापों का लेखा सम्मिलित होगा, अर्थात:–

(क) प्राधिकरण के निगमित और परिचालन लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवरण;

(ख) उन लक्ष्यों के संदर्भ में वास्तविक निष्पादन के संक्षिप्त पुनर्विलोकन के साथ विभिन्न क्रियाकलापों के लिए भौतिक और वित्तीय रूप से निर्धारित वार्षिक लक्ष्य।

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राधिकरण के क्रियाकलापों पर एक प्रशासनिक रिपोर्ट और उन क्रियाकलापों का लेखा जो आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू होने की संभावना है;

(घ) रिपोर्ट के पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों का सारांश, जिसे निम्नलिखित विवरण की रीति से उपदर्शित किया गया है : –

(एक) आय और व्यय;

(दो) निधियों का स्रोत और उपयोजन, और

(तीन) नकद प्रवाह;

(ङ) नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उठाए गए या किए जाने वाले विनिर्दिष्ट उपाय, जिन्होंने प्राधिकरण की लाभप्रदता या कृत्य को प्रभावित किया है या प्रभावित करने की संभावना है;

(च) विस्तार योजनाओं की नई परियोजनाओं पर उनके लाभ, वित्तीय निहितार्थ और कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रमों के साथ विचार किया गया;

(छ) प्राधिकरण के संगठनात्मक गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(ज) नियोक्ता–कर्मचारी संबंध और प्राधिकरण के कल्याणकारी क्रियाकलापों पर एक रिपोर्ट; और

(एक) ऐसे अन्य विविध विषयों पर रिपोर्ट, जिन्हें प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा बाद में रिपोर्ट करने के लिए उपयुक्त समझा जाए।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट को प्राधिकरण की बैठक में अंगीकरण के लिए रखा जाएगा और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और प्राधिकरण की सामान्य मुहर लगाकर अधिप्रमाणित किया जाएगा और उसकी एक सौ प्रतियां अनुगामी वर्ष के अक्टूबर के अंत तक राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) प्राधिकरण द्वारा अपनी बैठक में अंगीकृत किये जाने के बाद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित और प्राधिकरण की आम मुहर लगाकर अधिप्रमाणित वार्षिक लेखा, लेखा परीक्षक के प्रमाण-पत्र और उस पर रिपोर्ट के साथ आगामी वर्ष के नवंबर के दूसरे सप्ताह तक राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे खाते संबंधित हैं।

अध्याय–7

निधि का गठन और निधियों का विनिधान

उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि

32–(1)उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि "लोक खाता" में खोली जाएगी और इस संबंध में उ0प्र0 सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार लेखाशीर्ष/उपशीर्ष का उपबन्ध किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण के गठन/संचालन हेतु प्रदान की गयी धनराशि ऋण या अंश पूँजी के रूप में होगी।

(3) निधि का स्रोत जैसा अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, होगा और निधि से व्यय जैसा की अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट है, होगा।

(4) इस निधि का संचालन अधिनियम के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

निधि के विनिधान की रीति

33–निधि में जमा सारा पैसा जिसे अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए तुरंत लागू नहीं किया जा सकता है, भारतीय स्टेट बैंक या बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1970) या बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 40 सन् 1980) की प्रथम सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी अनुसूचित बैंक में जमा किया जाएगा।

CamScanner

आरक्षित निधि

34–(1) प्राधिकरण द्वारा उठाए गए प्रत्येक ऋण के संबंध में, जो ऋण के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति से पहले प्रतिसंदेय ऋण नहीं है, प्राधिकरण अपनी आय में से छमाही आधार पर एक राशि खाता शीर्ष–"चालीस" के अधीन उपशीर्ष–"चालीस" खोलकर स्थापित की गयी आरक्षित निधि में अलग रखेगा, उस अवधि के भीतर ऋण का परिसमापन करने के लिए पर्याप्त है जो किसी भी स्थिति में तीस वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह कि प्राधिकरण द्वारा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार से लिए गए ऋण के मामले में, उस आशय की किसी अनुबन्ध के अनुपस्थिति में एक आरक्षित निधि स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा पृथक रखी गई राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में या ऐसी अन्य प्रतिभूतियों में विनिधान किया जाएगा जिसे केंद्र सरकार इस संबंध में अनुमोदित कर सकती है और अधिनियम के प्रयोजनों के लिए न्यास में रखी जाएगी।

(3) प्राधिकरण किसी भी आरक्षित निधि में संचित की गई सम्पूर्ण रकम या उसके किसी हिस्से को ऋण दायित्वों के निर्वहन में लागू कर सकता है, जिसके प्रतिसंदाय के लिए निधि की स्थापना की गई है :

परन्तु यह कि प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष निधि में ब्याज के बराबर राशि जो आरक्षित निधि द्वारा उत्पन्न होती हो या इस प्रकार लागू आरक्षित निधि का हिस्सा हो तय तक भुगतान और संचय करता है जब तक कि उधार ली गई सम्पूर्ण धनराशि का उन्मोचन नहीं कर दिया जाता है।

(4) किसी भी ऋण के परिसमापन के लिए स्थापित आरक्षित निधि ऐसे व्यक्ति द्वारा वार्षिक जांच के अधीन होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया जा सकता है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति यह अभिनिश्चय करेगा कि क्या निधि के क्रेडिट पर प्रतिभूतियों का नकद और चालू बाजार मूल्य वास्तव में उस राशि के बराबर होता है, जो नियमित रूप से निवेश किये जाने और उस पर मूल रूप से अनुमानित ब्याज दर प्राप्त किये जाने पर संचित होती।

(5) प्राधिकरण आरक्षित निधि में किसी भी राशि का भुगतान करेगा जिसे निधि की वार्षिक परीक्षा का संचालन करने के लिए उप–नियम (4) के अधीन नियुक्त व्यक्ति कम होना प्रमाणित कर सकता है जब तक कि राज्य सरकार विशेष रूप से क्रमिक पुनः समायोजन की मंजूरी नहीं देती है।

(6) यदि किसी आरक्षित निधि में जमा प्रतिभूतियों का नकद और चालू बाजार मूल्य उस राशि से अधिक है जो उसके जमा में होनी चाहिए, तो उप–नियम (4) के अधीन नियुक्त व्यक्ति इस अतिरिक्त राशि को प्रमाणित करेगा और प्राधिकरण, राज्य सरकार की पिछली मंजूरी से, आरक्षित निधि में अर्धवार्षिक योगदान को कम या बंद कर सकता है।

अध्याय–8

भूमि या परिसर में प्रवेश करने की शक्ति

नोटिस के तामील की रीति

35–(1) अधिनियम की धारा 33 के अधीन किसी भी भूमि या परिसर में प्रवेश करने से पहले, प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भूमि के स्वामी, या जिस परिसर में प्रवेश करना चाहता है, उसे इन नियमों से अनुलग्न प्रपत्र में नोटिस देगा।

(2) नोटिस की एक प्रति उस व्यक्ति को, जिसके लिए यह आशयित की गई है, या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को, या एजेंट या नौकर को देकर या रजिस्ट्री कृत डाक द्वारा भेजकर अभिस्वीकृति दी जा सकती है, उस व्यक्ति को उसके सामान्य या अंतिम ज्ञात निवास या व्यवसाय स्थान पर सम्यक रूप से संबोधित किया गया।

(3) जहां तामील करने वाला अधिकारी उप–नियम (2) के अधीन नोटिस की प्रति परिदान व निविदा करता है, उसे मूल पर पृष्ठांकित तामील की अभिस्वीकृति के लिए उस व्यक्ति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी जिसे प्रतिलिपि दी गई है या प्रस्तुत की गई है।

(4) जहां व्यक्ति या परिवार का वयस्क सदस्य, या ऐसे व्यक्ति का नौकर, अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है, या जहां तामील करने वाला अधिकारी पूरी सम्यक और युक्तियुक्त तत्परता का उपयोग करने के बाद भी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाता है और वहां कोई परिवार का वयस्क सदस्य या ऐसे व्यक्ति का परिवार का नौकर नहीं है तो तामील करने वाला अधिकारी बाहरी दरवाजे या ऐसे व्यक्ति के साधारण निवास, या कारबार के कुछ अन्य सहजदृश्य भाग पर नोटिस की एक प्रति चिपकायेगा, के साथ पृष्ठांकित या संलग्न एक रिपोर्ट जिसमें यह कथित हो कि उसे एक प्रति चिपकानी थी, परिस्थितियां जिसके अधीन उसने ऐसा कार्य किया, और उस व्यक्ति का नाम और पता, यदि कोई हो, जिसके द्वारा, यथास्थिति, निवास या कारबार के सामान्य या अंतिम ज्ञात स्थान की पहचान की गयी थी और जिसकी उपस्थिति में प्रतिलिपि लगाई गयी थी, को तामील करने वाले सक्षम प्राधिकारी को वापस करेगा।

प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना

36–प्राधिकृत व्यक्ति निरीक्षण के दिनांक से सात कार्य दिवसों के भीतर निरीक्षण की अंतरिम रिपोर्ट और निरीक्षण के दिनांक से तीस दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

आज्ञा से,
एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव।

IndiaCode

CamScanner

प्रपत्र

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

सेवा में,

प्रिय महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 की धारा 33 के अनुसरण में एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि श्री.....उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण.....पर स्थित उल्लिखित परिसर/भूमि पर प्रवेश करेगा।..... के प्रयोजन के लिए दिवस के समय..... पर

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन, उत्तर प्रदेश के निमित्त

IndiaCode

CamScanner